े ऐषक.

संयक्त शिक्षा निदेशक, झॉसी मण्डल झॉसी।

सेवा में.

सचिव.

केन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,शिक्षा केन्द्र-2,समुदाय केन्द्र,

प्रीति विहार,नई दिल्ली।

पत्रांक / एन०ओ०सी० / ३१९४- ११०१ / 2018—19 दिनॉक— 11-07- २०१० विषय:-श्री मॉ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एट-जालौन को सी०बी०एस०ई०बोर्ड, नई

दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त बिषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनॉक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी०बी० एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, जालौन में स्थित संस्था श्री मॉ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एट-जालौन के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जॉवोपरान्त श्री मॉ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एट-जालौन को सी०बी०एस०ई०, बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्निलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री मॉ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एट-जालीन को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नॉमित एक सदस्य होगा।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगे, और उनमे उ०प्र०,माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से किम वेतनमान तथा अन्य भत्ते 5. Shri Maa Sharda International

नहा । दय जायस्त्र हिंदि का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओ में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापस ले लिया जायेगा।

भवदीय, द्विभुदलता श्रीवास्तव) आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।

पृष्ठांकन सं० / एन०ओ०सी० / २ / ९ म - २ २ ० १ / २०१८ – १९ तद्दिनॉक — प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ०प्र०,शासन,लखनऊ।

2. वैयक्तिक सहायक,आयुक्त,झाँसी मण्डल झाँसी।

3. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई!

4. शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,लखनऊ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन स्थान उरई।

निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय,उ०प्र०,लखनऊ।

7. प्रबन्धक, श्री मॉ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एट—जालीन

(मनोज कुमीर द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक, झॉसी मण्डल झॉसी।

Shri Maa Sharda Imemationet Public School Air

MANAGER
SHRI MAA SHARDA INTERNATIONAL
PUBLIC SCHOOL, BILAYAN, -AIT